राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक:पुफ1859 सीसी/स्वा.कार्य.पु./2019/ दिनांक

<u>आदेश</u>

श्री भोमाराम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) द्वारा दायर अवमानना याचिका सं. 1701/18 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5397/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निर्णय दिनांक 16.07.2018 निम्नानुसार पारित किया है :–

"In light of the aforequoted judgement, the writ petition is disposed of with the direction to the respondents to decide the representation of the petitioner in terms of aforementioned presedent law within a period of 30 days from today strictly in accordance with law.."

दाड़म दास वैष्णव के प्रकरण में एकलपीठ के उक्त निर्णय के विरूद्ध डी.बी.स्पेशल अपील रिट नं. 738/2014 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम दाड़म दास वैष्णव के प्रकरण में दायर की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 2.7.2014 विलम्ब के आधार पर खारिज किया गया है, उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी संख्या 3521/2016 दायर की गई, जो दिनांक 26.2.2016 को विलम्ब के आधार पर खारिज हो गई, जिसमें रिव्यू दायर की गई जो दिनांक 3.5.2017 को खारिज हो गई।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) साधारण वेतन श्रृंखला से क्रमशः स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) वरिष्ठ वेतन श्रृंखला, सेक्टर सुपरवाईजर (मेल) एवं खण्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/मलेरिया निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है तथा पुनरीक्षित वेतनमान 1989 एवं 1996 के अनुसार इन पदो की वेतन श्रृंखला 975–1720/3200–4900, 1025–1800/3400–5200 एवं 1200–2050/4000–6000 है जो उक्त वर्णित कर्मचारी/याचिकाकर्ता को स्वीकृत किया गया है।

याचिकर्ता ने विभागीय प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू मेल पद पर नियुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.1.92 एवं 17.2.98 के पैरा 5 के अनुसार एकल पद मानते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला 4000–6000 एवं तदानुसार स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। समान प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा याचक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण स्वमुखरित आदेश से करने के निर्देश दिये है। एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5397/18 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निर्णय दिनांक 16.07.2018 से प्रकरण को दाडमदास वैष्णव प्रकरण में पारित निर्णय से कवर्ड करते हुये उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रार्थी के अभ्यावेदन पर सकारण आदेश पारित कर निर्णित करने के निर्देश दिये है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5397/18 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.18 की पालना में याचिकर्ता के प्रकरण का सुसंगत अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर परीक्षण करने पर याचिकर्ता के तथ्य दाड़म दास प्रकरण के समान होने के कारण वित्त विभाग द्वारा आई.डी. क्रमांक 221400856 दिनांक 3.9.2014 एवं प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 666 दिनांक 3.9.2014 के द्वारा दाड़म दास वैष्णव के प्रकरण में डी.बी./रिव्यू के निर्णयाधीन दी गई सहमति के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करते हुए कार्यालय के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार वेतन/स्थिरीकरण तथा राशि की गणना सही की गई है की शर्त पर 9, 18 एवं 27 वर्ष की

सेवा पूर्ण करने पर 1200–2050 / 4000–6000, 1400–2600 / 5000–8000 एवं 1640–2900 / 5500–9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है। याचिकर्ता को दिनांक 1 1.2006 के पश्चात नियमानुसार देय एसीपी स्वीकृत किया जाना है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन माननीय न्यायालय निर्णय की पालना के परिपेक्ष्य में याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक:एफ:1859 सीसी / स्वा.कार्य.पु. / 2019 / 373
दिनांक : 5/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है .

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

D \Sandeep Ta.lor\rajsingh\Order Gyapan doc